कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, एटा।

पत्रांक– C-1433/जि0का0अधि0/विज्ञप्ति/2025–26 दिनॉक 11 नवम्बर, 2025

प्रेस–विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शासनादेश संख्या–2025/3313/58–1–2025 (1917687) दिनॉक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद एटा के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में ऑगनबाडी सहायिकाओं की मानदेय आधारित संविदा के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रकिया के तहत विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **ऑगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:–**

Sr.	Project	General (UR)	Other Backward Caste (OBC)	Scheduled Caste (SC)	Total
1	Aliganj	38	23	22	83
2	Awagarh	28	19	13	60
3	Jaithra	28	19	19	66
4	Jalesar	38	31	22	91
5	Marhara	40	19	9	68
6	Nidhauli Klan	35	19	21	75
7	Sakeet	41	31	20	92
8	Sheetalpur	29	24	15	68
9	Urban Etah	15	8	16	39
	Grand Total	**38**	**23**	**22**	**642**

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय बेबसाईट http://upanganwadibharti.in पर अपलोड है।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश :–

1. विज्ञपित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगें।
2. ऑगनबाड़ी सहायिका के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।
3. ऑगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.07.2025 को आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि मान्य होगी।
4. चयन में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
5. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं परिवार पंज़िका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यकता के सम्बन्ध मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
6. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

Scanned with OKEN Scanner

7. गरीबी रेखा से नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा महिला/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं।
8. उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
9. निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
10. आय प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1–9–11–रा0–9 दिनांक 30.09.2011 के कम में सक्षम स्तर से निर्गत आये प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
11. आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही–सही सावधानीपूर्वक भरे जायेगें। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म किया गया होगा।
12. ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि .... होगी।

नोट :– रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

(संजय कुमार सिंह)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
एटा।

पृष्ठांकन संख्या– /तद्‌दिनॉकित्।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, एटा।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, एटा।।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, एटा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति की प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. समस्त सदस्यगण चयन समिति, एटा।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, एटा।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद एटा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सूचना/विज्ञप्ति व ग्राम पंचायत/वार्डवार केन्द्रो की सूची को कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील, समस्त विकास खण्ड, परियोजना कार्यालय एवं तहसील कार्यालय इत्यादि के सूचना पट पर चस्पा करते हुये चस्पा प्रमाण पत्र की फोटोग्राफ (जी0पी0एस0 युक्त) सहित सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. जिला सूचना अधिकारी, एटा को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त विज्ञापन/विज्ञप्ति को न्यूनतम स्पेस में शासकीय दरों पर दैनिक जागरण, अमर उजाला एटा संस्करण समाचार पत्रों के अगले अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
एटा।

Scanned with OKEN Scanner